तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **दिनेश कुमार पंवार बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.द्वितीय जोधपुर व अन्य)** सू.अ.अ. अपील संख्या 255/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-08-2022	अपीलार्थी दिनेश कुमार पंवार, पता 29ए, अजीत कॉलानी सर्किट हाउस के पास, जोधपुर हाल निवासी 10ए, धुलेश्वर गार्डन सी स्कीम, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.12.21 में (1) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की विजयाराजे नगर योजना कुड़ी भगतासनी जोधपुर के संबंध में अपर जिला कलक्टर भू.अ.विविध/2020/2937–38 दिनांक 11.03.2020 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को रजिस्ट्रार ऋण वसूली अधिकरण, नेहरू प्लेस टोंक रोड़, जयपुर द्वारा एस.ए.नम्बर 115/2017 किशनगिरी बनाम पंजाब नेशनल बैंक के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 की पालना में ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 28 व समस्त पड़ौसी खसरान का सीमांकन करवाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित करने के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं तहसीलदार जोधपुर के स्टॉफ द्वारा किया गया सीमांकन की फर्द मौका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अपर जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी भू अ., कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर द्वितीय जोधपुर एवं तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, भू.अ.) से जरिये पत्रांक 10591 दिनांक 23.08.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना(के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर के पत्रांक 1591 दिनांक 06.12.2021 के द्वारा प्रेषित करने पर चाही गई सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित होने पर कार्यालय हाजा के पत्रांक 15850–51 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधि. की धारा 6(3) के तहत सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर को हस्तान्तरित की जाकर श्री दिनेश पंवार को सूचनार्थ पत्र जारी किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील मे बतलाया कि रजिस्ट्रार ॠूण वसूली अधिकरण, नेहरू प्लेस टोंक रोड़ जयपुर द्वारा एस.ए.नम्बर 115/2017 किशनगिरी बनाम पंजाब नेशनल बैंक के प्रकरण में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2020 की पालना में अपर जिला कलक्टर भू.अ. विविध/2020/2937–38 दिनांक 20.03.2020 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व तहसीलदार जोधपुर को ग्राम बासनी चौहाना के ख.नं. 28 व समस्त पड़ौसी खसरान की सीमांकन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। आगे बतलाया कि तहसीलदार जोधपुर एवं सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के अधीन कार्यरत स्टॉफ का संयुक्त सर्वेदल गठित करते हुए उक्त भूमि लगातार...	

की सीमांकन कार्यवाही की गई थी तथा की गई कार्यवाही रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय भिजवाई गई थी तथा तहसीलदार (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, पटवारी झालामण्ड तहसील जोधपुर द्वारा व्यक्तिगत रूप से रजिसट्रार ऋण वसूली अधिकरण को दिनांक 20.03.2020 को मय फर्द मौका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की प्रति, जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर को भी दी गई थी।.

अपीलार्थी द्वारा अपील के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण तहसीलदार जोधपुर के कार्मिकों की गठन संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 13.03.2020 को मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई तथा दिनांक 20.03.2020 को रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर को सुपुर्द की गई। उक्त टीम द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय को प्रेषित की गई हो, इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। द्वितीयत् अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रकिया के तहत जिला कलक्टर कार्यालय से संबंधित लोक सूचना अधिकारी (सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं तहसीलदार जोधपुर) को स्थानान्तरित किये जा चुके है तथा इसकी जानकारी अपीलार्थी को थी, परन्तु अपीलार्थी ने अपील मियाद बाहर इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई, जबकि लोक सूचना अधिकारी (सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर) का प्रथम अपीलीय अधिकारी चेयरमेन, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर है, न कि जिला कलक्टर जोधपुर। अतः लोक सूचना अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। यद्यपि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है, फिर भी न्यायहित में अपील आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध है तो 15 दिवस में प्रेषित करें, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।